

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18873/ बजट प्रावधान /2024-25

दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय),
समस्त जिले।

(ई-मेल)

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 की प्रथम/द्वितीय किस्त के पुनर्भरण किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि आपके जिले की आरटीई पोर्टल मांग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 की प्रथम/द्वितीय किस्त के आरटीई पुनर्भरण हेतु बजट जारी किया जा चुका है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 प्रथम/द्वितीय किस्त का बकाया पुनर्भरण किस्त की वरीयता एवं क्लेम बिल प्राप्त एडी की वरीयता का क्रम निर्धारण करते हुए भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भुगतान हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना की जावे:—

01. शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 प्रथम/द्वितीय किस्तों का बकाया भुगतान प्राथमिकता से किया जावे तथा इन सत्रों का कोई भुगतान लम्बित न रहे।
02. पुनर्भरण से पूर्व यह जांच ले कि विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की पालना की गई है तथा नियमानुसार पोर्टल पर फीस का इन्द्राज कर दिया गया है।
03. किसी भी स्थिति में प्रति बालक पुनर्भरण राशि शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 तक के लिए निर्धारित यूनिट कोस्ट एवं पाठ्य पुस्तक राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। यूनिट कोस्ट, विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित फीस, विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस में से जो भी कम हो उसका भुगतान किया जायेगा।
04. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करवाने के बाद ही द्वितीय किस्तों का पुनर्भरण किया जाए।
05. शैक्षिक सत्र 2018-19 प्रथम/द्वितीय किस्त हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना है। जिनके द्वारा प्रथमबार दावा प्रपत्र 30 नवम्बर 2019 तक जिला कार्यालयों को प्रस्तुत कर दिये गये थे।
06. शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना है। जिनके द्वारा प्रथम किस्त के दावा प्रपत्र प्रथमबार दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक एवं द्वितीय किस्त के दावा प्रपत्र प्रथमबार दिनांक 31 मार्च 2021 तक जिला कार्यालयों को प्रस्तुत कर दिय गये हो।
07. शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु उन्हीं बिलों का भुगतान किया जाना है। जिनके द्वारा ऑनलाईन शिक्षण 50 प्रतिशत से अधिक प्रमाणित पाया गया था।
08. शैक्षिक सत्र 2022-23 के बिल जो पूर्व सत्र में भुगतान से वंचित रहे, का भुगतान प्राथमिकता से किया जावे।
09. शैक्षिक सत्र 2023-24 की प्रथम किस्त का भुगतान करने वाले बिलों में भी भुगतान राशि में से 1000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से पोर्टल शुल्क की कटौती की जायेगी।
10. सभी सत्रों की प्रथम किस्त की अन्तरिम (provisional) भुगतान के लिए भुगतान/फीस का समायोजन कर ही विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 में शैक्षिक 2018-19 से 2023-24 तक की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण किया जाए।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Sita Ram Jar

Designation: Director

Date: 2024.09.06 17:11:53 IST

Reason: Approved



11. पुनर्भरण उन्हीं बालकों हेतु किया जायेगा, जिनका आधार सत्यापित कर दिया गया हो, आधार सत्यापन के लिए बच्चों के आधार का विवरण एवं पोर्टल पर प्रविष्टि विवरण समान होने पर ही विद्यार्थी का आधार सत्यापन हो सकेगा। क्लेम बिल के साथ आधार कार्ड हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं।
12. शैक्षिक सत्र 2018-19 से 2023-24 प्रथम/द्वितीय किस्त के पासऑर्ड निरस्त करवाने हेतु निरस्त करवाने का स्पष्ट कारण एवं प्रतिपूर्ति भुगतान आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
13. सभी सत्रों के लिए भुगतान करने से पूर्व तत्संबंधी लागू नियमों की पालना की जावे।
14. गैर सरकारी विद्यालयों से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से मिलान कर आरटीई प्रभारी कार्मिक व अधिकारी द्वारा विद्यालयों को पुनर्भरण का भुगतान करना है अगर विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अयोग्य बालक/नियम विरुद्ध भुगतान की मांग किये जाने पर दोषी विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सत्र अधिनियम 1989 नियम 1993 8(ख) के अनुसार कार्यवाही व कार्यालय स्तर से आरटीई कार्मिक व अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
15. निदेशालय स्तर पर बजट स्वीकृति के आदेशों की अवहेलना पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक(प्रभारी) के विरुद्ध पदीय कर्तव्यों की उदासीनता को देखते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के साथ ही आपके कार्यालय को प्राप्त एडी का पूर्ण विवरण युक्त सूची मय स्कूल का नाम, एडी दिनांक, बिल ट्रेजरी भेजने की दिनांक, ट्रेजरी भिजवाए गए बिल पारित/आक्षेपित की स्थिति सहित वरीयता क्रम में नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए। कार्यालय को प्राप्त पुनर्भरण के बिलों के पास ऑर्डर सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच उपरांत जो भी कमियां पाई जाती है उन सभी कमियों को आक्षेप (OBJECTION) कॉलम में एक साथ ही लिखकर आक्षेप लगाएं। अतः उक्तानुसार क्लेमस का माह निवम्बर के अंत तक शिघ्रातीशीघ्र भुगतान किया जाकर प्रगति से अवगत करावें, ताकि शेष रही देनदारियों के लिए बजट राशी की मांग की जा सके। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमलमें लाई जाएगी।

(सीताराम जाट)

IAS

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पोर्टल पर उक्तानुसार व्यवस्था करावें।

Signature Not Verified

निदेशक

Digitally signed by सीताराम जाट, राजस्थान

Designation : Director, शिक्षा संकुल, बीकानेर

Date: 2024.09.06 17:11:53 IST

Reason: Approved